

समाहरणालय, मुंगेर
(जिला विकास शाखा)
आदेश

कब्रिस्तान घेराबन्दी योजना के अन्तर्गत कार्यपालक अभियंता,स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर ने अपने पत्रांक-2559 दिनांक-19.09.13 एवं 2560 दिनांक-19.09.13 तथा 2561 दिनांक-19.09.13 द्वारा कब्रिस्तान घेराबन्दी कार्य में अवशेष बची राशि विमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

कार्यपालक अभियंता,स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल, मुंगेर के द्वारा प्राप्त मापीपुस्त की अभिप्रमाणित छायाप्रति एवं रंगीन फोटोग्राफ के आधार पर अधियाचना की गयी राशि के आलोक में नीचे वर्णित योजनाओं में द्वितीय किस्त की राशि विमुक्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है। कार्यान्वयन एजेंसी को निदेश दिया जाता है कि संबंधित योजना का जाँच स्वयं अपने स्तर से करते हुए पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही राशि का भुगतान करेंगे। यदि योजना के कार्यान्वयन में किसी भी प्रकार का अनियमितता भविष्य में परिलक्षित होता है तो इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

नाजिर, जिला विकास शाखा,मुंगेर को निदेश दिया जाता है कि वे निम्न तालिका के स्तम्भ-07 में वर्णित राशि का चेक स्तम्भ-03 में अंकित कार्यान्वयन एजेंसी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

क्र०	योजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	पूर्व में प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पूर्व में विमुक्त की गयी राशि	विमुक्त की जा रही राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	सदर प्रखंड अन्तर्गत श्रीमतपुर कब्रिस्तान के खाता सं० 64 खेसरा सं० 116 का घेराबन्दी कार्य।	कार्य०अभि०,स्था० क्षे० अभि०सं० कार्य प्रमंडल, मुंगेर	1393000	1484900	696500	788400
2.	सदर प्रखंड के अन्तर्गत श्रीमतपुर कब्रिस्तान के खाता सं० 113 का घेराबन्दी कार्य।	तथैव	730400	784700	365200	419500
3.	सदर प्रखंड के अन्तर्गत श्रीमतपुर कब्रिस्तान के खाता सं० 06 खेसरा सं० 115 का घेराबन्दी कार्य।	तथैव	631500	692200	315750	376450
		कुल:-	2754900	2961800	1377450	1584350

द्रष्टव्य:-

- 1-पूर्व में प्रशासनिक स्वीकृति की राशि - 2754900/- (सत्ताईस लाख चौब्वन हजार नौ सौ)रुपये मात्र।
- 2-पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की राशि-2961800/- (उनतीस लाख एकसठ हजार आठ सौ)रु० मात्र।
- 3-पूर्व में विमुक्त की गयी राशि- 1377450/- (तेरह लाख सतहतर हजार चार सौ पचास)रु० मात्र।
- 4-वर्तमान में विमुक्ति की राशि- 1584350/- (पन्द्रह लाख चौरासी हजार तीन सौ पचास)रु० मात्र।

हो/
जिला पदाधिकारी
मुंगेर।

ज्ञापांक...../जि०वि०, दिनांक...../

प्रतिलिपि- कार्य०अभि०,स्था० क्षे० अभि०सं० कार्य प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त विमुक्त राशि का चेक प्राप्त करने हेतु अपने नाजिर को जिला
विकास शाखा, मुंगेर में भेजना सुनिश्चित करें, साथ ही साथ प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण
पत्र/डी०सी० विपत्र भी यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


६०/-

जिला पदाधिकारी

मुंगेर।

ज्ञापांक. 424 / जि०वि०, दिनांक. 16-11-13/

प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मुंगेर / कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर / जिला सूचना एवं विज्ञान पदा०,
मुंगेर एवं नाजिर, जिला विकास शाखा, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



जिला पदाधिकारी
मुंगेर।